15/9/2021

वकलाय उपस्थित।

बहस सुनी गई तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

दावा वादी माफिक राजीनामा डिक्री किया जाता है।

आदेश जुदागाना लिख कर शामिल पत्रावली है।

पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली के तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - लाडनूं (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 2020/68 दायरा दिनांक :- 23-07-2020

वादी		प्रतिवादीगण
श्रीरामाराम पुत्र जूमर राम जाति - जाट निवासी - गेनाणा तहसील - लाडनूं जिला नागौर	बनाम	(1) जूमर राम पुत्र पुरखा राम (फौत) (2) शांति देवी, (3) भगवती देवी } पुत्रियां जूमर राम (4) रामकरण, (5) रामेश्वर लाल, (6) हरि राम, (7) लादू राम } पुत्रगण जूमर राम (8) प्रेमा राम पुत्र रामचन्द्र (9) राजेन्द्र सिंह रणधीरी पुत्र रामचन्द्र (10) जड़ाव देवी पत्नि रामचन्द्र (11) शारदा पुत्री रामचन्द्र जाति- जाट निवासी - गेनाणा तहसील लाडनूं (12) तहसीलदार - लाडनूं (13) ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा मिर्धी जोधा (14) भारतीय स्टेट बैंक शाखा लाडनूं

दावा बाबत रेकार्ड दुरस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- (1) श्री हनुमन्त छोरिया अधिवक्ता वादी
(2) श्री भोजा राम कुलरिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण 2 ता 11
(3) श्री दिनेश पटेल अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 12,13

—:: निर्णय :: - दिनांक :- 15.09.2021

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद गेनाणा तहसील लाडनूं में खेत खसरा नम्बर 166, 193, 210, 272, 278 व 273 पैतृक भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आया हुआ है। खसरा नम्बर 273 वर्तमान में प्रतिवादी रामकरण व रामेश्वर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौके पर बन्टवारा कर अलग - अलग काबिज काश्त है। प्रतिवादी जूमर राम काश्तकार है तथा वृद्ध व बीमार रहने के कारण सम्पूर्ण भूमि अपने उत्तराधिकारियों में वितरण कर उनके नाम से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर पारिवारिक तौर पर अपने अपने बन्ट के हिस्से पर कब्जा काश्त है। बन्ट के अनुसार खातेदारी अलग - अलग दर्ज करवाने के लिए यह दावा पेश है। वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने तथा सींव नीव को लेकर तनाजा बना रहने के कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा अन्दर मयाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना वादी है कि सरहद गेनाणा के खेत खसरा नम्बर 166, 193, 210, 272, 278, 273 की खातेदारी घोषणा वाद के पद संख्या 5 तथा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार कर राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादी के बन्ट की भूमि में किसी प्रकार की दस्तअन्दाजी नहीं करें।

xx-xxx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

XXXXX

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को बाद्दे जवाबदेही के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 11 ने एकमात्री जवाब तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 के नाबालिग होने के कारण ... में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने जवाब एवं शपथपत्र पेश किया तथा ऋण चुकाने से पहले खातेदारी में परिवर्तन नहीं करने का निवेदन किया।

वादी ने ऋण मुक्ति के दस्तावेजात पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री किए जाने की दरख्वास्त की।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मौखिक राजीनामा दावा स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 11, प्रतिवादी भूमर राम के वारिसान है जो अपनी पुश्तैनी भूमि को खातेदारी बाहमी बन्टवारा के अनुसार प्राप्त करना चाह रहे है। भूमि के पुश्तैनी होने को व बाहमी बन्टवारा को राजीनामा के जरिए पक्षकारान ने स्वीकार किया है। पत्रावली पर पेश जमाबन्दियों से भी आराजी तनाजा पैतृक होना प्रमाणित होती है। वर्तमान खातेदार भूमर राम का दिनांक 02.04.2021 को निधन हो जाने के कारण उसकी भूमि के खातेदारी अधिकार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 11 को प्राप्त हो जाते है। आराजी तनाजा पुश्तैनी है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण बाहमी बन्टवारा के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अत: पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

— :: आदेश :: —

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सबहद मौजा गेनाणा तहसील लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 166, 193, 210, 272, 273, 278 की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर राजीनामा दिनांक 01.03.2021 में वर्णितानुसार (आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को छोड़ते हुए) पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। शांति देवी, भागवती देवी, शारदा के हक़ में हो रहे अंकनों का वांछित मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा हो।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

xxxx (8) प्रेमाराम पुत्र रामचन्द्र
(9) राजेन्द्रसिंह सिलेरी पुत्र रामचन्द्र
(10) जड़ाव देवी पत्नी रामचन्द्र
(11) शारदा पुत्री रामचन्द्र
जाति - जाट निवासी जैनाणा तहसील लाडनूं
(12) तहसीलदार - लाडनूं
(13) ग्रामीण बैंक लिंक बैंक शाखा निम्बी जोधा
(14) भारतीय स्टेट बैंक शाखा लाडनूं

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी - लाडनूं जिला नागौर

व इजलास श्री अनिल कुमार R.A.S.

वादी

श्री रामाराम पुत्र भूमर राम जाति - जाट निवासी - जैनाणा तहसील लाडनूं

बनाम

प्रतिवादीगण

(1) भूमर राम पुत्र पुरखा राम (फौत)
(2) शांति देवी } पुत्रियां भूमर राम
(3) भगवती देवी
(4) रामूकरण } पुत्रगण भूमरराम
(5) रामेश्वर लाल
(6) हरि राम
(7) लोटू राम
xxxx

दावा बाबत 53.88,188 हे०

मुकदमा न. 2020/68

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे

बहाजरी श्री बन्नुचन्द बोरिया अधिवक्ता .... मिनजानिब मुद्दई व

श्री छोगाराम बुरड़क अधिवक्ता तथा श्री दिनेश पटेल अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि हस्ब राजीनामा डिक्री सादिर कर कस्बा मौजा जैनाणा तहसील लाडनूं के अराजी खसरा नम्बर 166, 193, 210, 272, 273, 278 की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर राजीनामा दिनांक 01.03.2021 के मुताबिक (आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को छोड़ते हुए) पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। शांतिदेवी, भगवतीदेवी व शारदा के हक में रहे कब्जे का वांछित मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा करें।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो।

.... बीज .... मुबलिग ....

बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह

फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — .... को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह सितम्बर 2021

को जारी की गई।

(अनिल कुमार)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा लाडनूं

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजींदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्न			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिफरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।